समाहरणालय मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री जिला विकास योजनान्तर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की योजना दशरथपुर रेडक्रॉस हास्पीटल की मरम्मति एवं जिर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति ज्ञापांक 273/जि0यो0, दिनांक 17.10.2007 द्वारा दी गई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0–971100.00 (नौ लाख एकहत्तर हजार एक सौ) रू0 था तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2 मुंगेर को कार्यान्वयन एजेन्सी नामित करते हुए मो0–485500.00 (चार लाख पचासी हजार पांच सौ) रू0 विमुक्त किया गया था। संवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण यह योजना अपूर्ण रह गया तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल (खड़गपुर–तारापुर) मुंगेर के पत्रांक 549 दिनांक 29.05.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में मापी पुस्त के अनुसार किये गये कार्य की राशि मो0–494231.00 (चार लाख चौरानवे हजार दो सौ एकत्तीस) रू0 है और उन्होंने अवशेष कार्य को पुनरीक्षित दर पर पुनर्निविदा द्वारा अन्य कार्यान्वयन एजेंसी से योजना को पूर्ण कराने का अनुरोध किया है। इस आलोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर से अवशेष कार्य के लिए प्राक्कलन की मांग की गई। उन्होंने अपने पत्रांक 735 दिनांक 18.07.2014 द्वारा इस हेतु प्राक्कलन उपलब्ध कराया है, जिसपर सम्यक विचारोपरांत निम्न प्रकार से अग्रलिखित शर्त्तो के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

क0	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5
1	दशरथपुर रेडक्रॉस हास्पीटल की मरम्मति एवं जिर्णोद्धार का अवशेष कार्य	533200.00	533200.00	270000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–2,70,000.00 (दो लाख सत्तर हजार) रू0 मात्र।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।